

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 15, सोमवार, श॥के 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.101 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 25 दिनांक 17.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (सातवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति “ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ई ग्रास या किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। एफडीआर बोली लगाने वाले के लेखे उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था एफडीआर को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले ने, संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, उपापन संस्था द्वारा मांग किये जाने पर एफडीआर के संदाय/पूर्वसंदाय के लिए बैंक से एक वचनबंध प्रस्तुत किया है।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ2(4)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.